160

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर
समक्ष एम.के. सिंह
सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 201/II/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.2012 पारित द्वारा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 138/2011-12 अपील

1- जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री वेदर सिंह

2- अन्तराम सिंह फौत वारिस

अ- प्रकाश सिंह पुत्र श्री अन्तराम सिंह

ब- विशम्भर सिंह पुत्र श्री अन्तराम सिंह

स- कैलाश सिंह पुत्र श्री अन्तराम सिंह

द- बहादुर सिंह पुत्र श्री अन्तराम सिंह

3- रामस्वरूप सिंह फौत वारिस

अ- महेश सिंह पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप सिंह

ब- नागेश सिंह पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप सिंह

निवासीगण -चिरोल तहसील मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)

-- अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड (म.प्र.)

2- मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिण्ड (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थीगण

श्री ओ.पी. शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री बी.एन.त्यागी शासकीय सूची अभिभाषक प्रत्यर्थी क्रमांक 1

आदेश

(आज दिनांक 12.../05/2016)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 138/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.10.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम पंचायत चिरोल तहसील मेहगांव में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 182 रकवा 0.10 है0 नोईयत खलियान को नवीन शाला भवन चिरोल के निर्माण हेतु आरक्षित किये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की ओर से प्रतिवेदन दिनांक 21.08.2008 पर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/08–09/अ–69 पंजीबद्ध किया। और पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 से प्रश्नाधीन भूमि की नोईयत आबादी घोषित करते हुये बादित भूमि को शासकीय शाला भवन चिरोल के निर्माण हेतु आरक्षित कर दी गयी कलेक्टर भिण्ड के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक

03.07.2009 से स्वीकार कर कलेक्टर भिण्ड का आदेश दिनांक 30.03.2009 निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर जिला भिण्ड को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया। कि उभय पक्षों को सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान कर आदेश पारित करें। किन्तु कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा नवीन प्रकरण क्रमांक 2/09-10/अ-69 दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 19.04.2012 से ग्राम चिरोल स्थित प्रशनाधीन वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 182 रकवा 0.10 है0 की नोईयत को खलियाना से आबादी घोषित करते हुये उक्त भूमि शाला भवन चिरोल के निर्माण हेतु आरक्षित की गयी। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जो आदेश दिनांक 30.10.2012 से अस्वीकार कर दी गयी इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3- अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्षों के अभिभाषको के तर्क सुने तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि विवादित भूमि उनके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है इस संबंध में उनके द्वारा सम्बत् 1996 के खसरे प्रस्तुत किये गये है वर्ष 1959 के पूर्व से सम्बत् 2007 के खाना नं. 24 में सेडा 5 विस्वा, पीपल एक छत्री

पक्की दर्ज है। इस प्रकार जमीदारी पूर्व से ही पूर्वज जमीदार होकर काबिज हो भूमि स्वामी रहे है सम्बत् 2048 से 2052 के खसरे में अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 का नाम अंकित रहा है ऐसी अवस्था में भू–राजस्व संहिता सन् 1959 के पूर्व जमीदारी काल से आज वर्तमान में अपीलार्थीगण भूमि स्वामी स्वत्व विधि के प्रभाव से उद्भभूत हो गये है ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर जिला भिण्ड एवं आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित किये गये है वह विधिवत् एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– शासन के सूची अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह बताया कि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत् आदेश पारित किये गये है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील मात्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

6– उभय पक्षों के तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगणों का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज रहा है इस संबंध में सम्बत् 1996 में अपीलार्थीगण के पूर्वज जमीदार दर्ज थे वर्ष 1959 के पूर्व से सम्बत् 2007 के खाना नं. 24 में सेडा 5 विस्वा, पीपल एक छत्री पक्की दर्ज है। अपीलार्थीगण पूर्व से ही जमीदार होकर भूमि पर काबिज व भूमि स्वामी रहे है। सम्बत् 2048 से 2052 के खसरे में अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2

अन्तराम अंकित है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का नाम खसरे से विलोपित किये जाने के संबंध में यदि कोई आदेश पारित किया है। तो वह त्रुटि पूर्ण है क्योंकि हितवद्ध व्यक्तियों को सुने बिना उनका नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2009 पारित कर प्रश्नाधीन भूमि की नोईयत आबादी घोषित करते हुये विवादित भूमि को शासकीय शाला भवन चिरोल के निर्माण हेतु आरक्षित कर दी गयी है जबकि इस संबंध में कोई विधिवत् कार्यवाही नहीं की गयी है किसी भी व्यक्ति के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि को बिना किसी कारण के शासकीय शाला भवन हेतु आरक्षित किया जाना विधिवत् नहीं है। इस संबंध में अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2009 को प्रकरण कलेक्टर जिला भिण्ड को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था कि वह अपीलार्थीगण को सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान कर आदेश पारित करें किन्तु उक्त निर्देशों के पालन में कोई विधिवत् कार्यवाही कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा नही की गयी बल्कि एक नया प्रकरण क्रमांक 02/09-10/अ-59 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 19.04.2012 पारित कर दिया गया है। यह आदेश वरिष्ठ न्यायालय के दिशा निर्देशों के विपरीत होने एवं अवमानना में होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है जहॉ तक अपर

आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश का प्रश्न है तो उन्होने प्रकरण की वास्तविक स्थिति पर विधिवत् विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है अतः ऐसा आदेश किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 138/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.10.2012 एवं कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/2009–10/अ–59 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2012 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं तहसीलदार मेहगांव को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगणों का नाम पूर्ववत् राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर